



MAGADH SANGHMITRA AREA
GM BUILDING
PO- Bachra, RANCHI, JHARKHAND
CENTRAL COALFIELDS LIMITED
(Govt. of India Undertaking)

CCL

/Website: <http://www.ccl.gov.in>

Ref. No.: -PO (M)//21-22/5118

Dated: - 25/10/2021

To,
The Divisional forest Officer
Chatra South

Sub: - Submission of Point wise compliance of the letter no. 2605 Dated 27.10.2021.

Dear Sir,

Please find enclosed herewith Point wise compliance of the letter no.-2605 Dated 27.10.2021.

ऑन लाईन त्रुटियाँ

सवाल	अनुपालन
1. पार्ट-1 की कंडिका A3(i) में Details of person making application में अवनिश कुमार नाम अंकित है जबकि प्रस्ताव की सभी पृष्ठों पर निपेन्द्रनाथ, परियोजना पदाधिकारी का नाम के साथ हस्ताक्षर अंकित है इसमें सुधार की आवश्यकता है।	1. पार्ट-1 की कंडिका A3 (i) में Details of person making application में सुधार कर दिया गया है।
2. पार्ट-1 की कंडिका B1 में List of proposal submitted in past में शुन्य अंकित है, जबकि विषयगत परियोजना के फेज-1 पर भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति प्राप्त है। ऐसी स्थिति में उसकी पूर्ण विवरणी विहित प्रपत्र में अंकित करना अनिवार्य है।	2. पार्ट-1 की कंडिका B1 में List of proposal submitted in past अंकित कर दिया गया है।
3. पार्ट-1 की कंडिका B 2.4 में Component wise breakup में एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में दिये गये Component wise कार्य करने हेतु उल्लेख के अनुसार Component wise breakup में काफी भिन्नता है। इसे स्पष्ट किया जाय।	3. पर्यावरणीय स्वीकृति 20 MTY के लिए निर्गत किया गया है। जिसमें दो जिला सम्मिलित हैं चतरा एवं लातेहार। लातेहार जिला में CS Vs RS issue कि वजह से इस प्रपोजल को दो भाग में किया गया है। यह परियोजना केवल चतरा जिला के लिए किया गया है इसलिए Component wise breakup में भिन्नता है।
4. पार्ट-1 की कंडिका C(iii) में 1:5000 स्केल में टोपो मैप पर अपयोजित होनेवाले वनभूमि को दर्शाते हुए अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	4. परियोजना पदाधिकारी के नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है।
5. पार्ट-1 की कंडिका C(iv) में अपयोजित होने वाले वनभूमि का Geo-reference map in shape file अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	5. DGPS में मुहर के साथ हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है।
6. पार्ट-1 की कंडिका D(i) में अपयोजित होने वाले वनभूमि के संबंध में Justification Letter अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	6. Justification Letter में मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है।

7. पार्ट-1 की कंडिका G(i) में विषयगत परियोजना से संबंधित हानि-लाभ विश्लेषण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	7. हानि-लाभ विश्लेषण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है।
8. पार्ट-1 की कंडिका H(i) में विषयगत परियोजना से संबंधित भारत सरकार निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है। साथ ही कंडिका H(i)(d) में पर्यावरणीय स्वीकृति का तिथि अंकित करना है। जहाँ शून्य अंकित है किया गया है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।	8. H(i) भारत सरकार निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है। H(i)(d) पर्यावरणीय स्वीकृति का तिथि अंकित कर सुधार कर दिया गया है।
9. पार्ट-1 की कंडिका K(i) में विषयगत परियोजना से संबंधित उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण-पत्र अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	9. उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण-पत्र में मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है।
10. पार्ट-1 की कंडिका M.1.(a) में Total Area of the mining lease (in Ha): 495.92 Ha. Area अंकित है जबकि भारत सरकार द्वारा विषयगत परियोजना में कुल 1769 है० भूमि पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। दोनो में विरोधभाषी है। स्पष्ट करें।	10. पर्यावरणीय स्वीकृति 20 MTY(1769 है०) के लिए निर्गत किया गया है। जिसमें दो जिला सम्मिलित हैं चतरा एवं लातेहार। लातेहार जिला में CS Vs RS issue कि वजह से इस प्रपोजल को दो भाग में किया गया है। यह परियोजना केवल चतरा जिला के लिए किया गया है जिसमें 495.92 है० सम्मिलित हैं।
11. पार्ट-1 की कंडिका M.2. (iii) & (iv) में Approval of mining plan and approved of mining plan अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	11. Approval of mining plan and approved of mining plan में मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है।
12. पार्ट-1 की कंडिका M.2.(vi) में land use plan अपलोड किया गया है परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	12. land use plan में मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है।

ऑफ लाईन त्रुटियाँ

सवाल	टनुप अनुपालन
1. प्रस्ताव में सलंगन सभी पृष्ठों पर प्रस्ताव समर्पित करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।	1. प्रस्ताव में सलंगन सभी पृष्ठों पर मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित कर दिया गया है।
2. प्रस्ताव में सलंगन सभी पृष्ठों का नंबरिंग पिछे करना है, जबकि आगे से किया हुआ है एवं अनुलग्नक अंकित नहीं है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।	2. सभी पृष्ठों का नंबरिंग कर इसमें सुधार कर दिया गया है।
3. पार्ट-1 में Authorization Letter अशोक कुमार का अपलोड है, परन्तु ऑफलाइन में सलंगन Authorization Letter निपेन्द्र नाथ का सलंगन है। दोनो विरोधभाषी है। स्पष्ट करें।	3. Authorization Letter में सुधार कर आर्नलाईन अपलोड एवं सलंगन किया जा रहा है।
4. प्रस्ताव में सलंगन Authenticated Land Schedule के मौजा मासिलौंग के प्लॉट संख्या-55,69,108,111,114,314 एवं 316 मौजा-सरादु के प्लॉट संख्या-522,566,575,577,578,629,631,673,763,831,849,869,1954 पी० मे भूमि का किस्म अंकित नहीं है एवं खाली है। ऐसी स्थिति उपरोक्त ग्रामों के संबंध में रिविजनल सर्वे (RS) हुआ है अथवा नहीं। यदि रिविजनल सर्वे (RS) हुआ है वो	4. Authenticated Land Schedule में सुधार कर सलंगन किया जा रहा है।

विभागीय पत्रांक-05/स0मू0 लातेहार (विविध)-181/18
(छाया संचिका)-4715 दिनांक-27.11.2018 द्वारा जारी निर्देश के आलोक में विषयक प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई करने के पूर्व संबंधी उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं आप से बचनबद्धता की आवश्यकता है। साथ ही कहना है कि Authenticated Land Schedule की मूल एवं पठनीय प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

5. अपयोजित होने वाले वनभूमि में 135.07 है0 गैरमजरूआ जंगल-झाडी भूमि प्रभावित होगा परन्तु उपायुक्त, चतरा द्वारा 546.30 एकड़ (222.17 है0) गैरमजरूआ जंगल-झाडी भूमि का निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र संलग्न है। दोनो विरोधभाषी है स्पष्ट किया जाय।	5. उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण -पत्र में 546.30 एकड़ (222.17 है0) गैरमजरूआ जंगल-झाडी भूमि जिसमें Magadh East OCP, NBCC Road एवं Amrapali OCP के लिए भी गैरमजरूआ का अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हैं। Magadh East OCP (135.07 है0) के प्लॉट को अलग रंग से दर्शाया जा रहा हैं।
6. अपयोजित होने वाले वनभूमि कुल 192.36 है0 है, परन्तु उपायुक्त चतरा द्वारा 651.16 है0 एवं 32.15 है0 वनाधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न है। दोनो में दोनो विरोधभाषी है। स्पष्ट किया जाय।	6. उपायुक्त चतरा द्वारा 651.16 है0 composite for Magadh OCP, Amrapali OCP, Road proposals के लिए निर्गत किया गया है। 192.36 है0 का FRA दो पार्ट में निर्गत किया गया हैं। 115.51 है0 जो की 651.16 है0 का पार्ट है। एवं 32.15 है0 FRA जो की मासिलौंग गांव मे प्राप्त है पत्रांक सं-48 दिनांक-20.01.2015। Detailed excel sheet attached as annexure
7. वृक्षों की गणना सूची संलग्न नहीं है।	7. Undertaking for Tree enumeration संलग्न किया जा रहा हैं।
8. विषयगत परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में मौजा-सरादु, देवलगडा, आरा, चमातु, गणेशपुर एवं फुलबासिया में कोल खनन परियोजना का निर्माण किया जाएगा, परन्तु प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में मौजा-मासिलौंग, देवलगडा, सरादु एवं कुण्डी में कोल खनन परियोजना निर्माण हेतु वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित है। अतः है। दोनो में दोनो विरोधभाषी है। स्पष्ट किया जाय।	8. भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति 20 MTY के लिए निर्गत किया गया हैं। जिसमें दो जिला सम्मिलित हैं चतरा एवं लातेहार। लातेहार जिला में CS Vs RS issue कि वजह से इस प्रपोजल को दो भाग में किया गया है। यह परियोजना केवल चतरा जिला के लिए किया गया हैं इसलिए मौजा-मासिलौंग, देवलगडा, सरादु एवं कुण्डी में कोल खनन परियोजना प्रस्ताव समर्पित किया गया, मौजा-आरा, चमातु, गणेशपुर एवं फुलबासिया लातेहार जिला का प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा।
9. अपयोजित होने वाले वनभूमि में ESZ/जैविक विविधता/नेशनल पार्क/वन्य प्राणी आश्रयणी/टाईगर प्रोजेक्ट क्षेत्र नहीं पडता है, से संबंधित बचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	9. अपयोजित होने वाले वनभूमि में ESZ/जैविक विविधता/नेशनल पार्क/वन्य प्राणी आश्रयणी/टाईगर प्रोजेक्ट क्षेत्र नहीं पडता है से संबंधित बचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जा रहा है।
10. अपयोजित होने वाले वनभूमि में पुराने किला, मंदिर एवं बंगला नहीं है, के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	10. पुराने किला, मंदिर एवं बंगला के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण -पत्र संलग्न किया जा रहा है।
11. अपयोजित होने वाले वनभूमि के संबंध में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु माँगी गई राशि जमा करन संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	11. वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु वचन बद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न किया जा रहा हैं।
12. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाल वनभूमि का Geo-reference map in shape file भारत सरकार से प्राप्त मान्यता के अनुरूप संलग्न नहीं है। एवं इस कम में तैयार किये गये File की प्रति संलग्न नहीं है।	12. Gero -reference map में सुधार कर संलग्न किया जा रहा हैं। एवं इस कम में तैयार किये गये File की प्रति संलग्न कि जा रही है।

13. विषयगत परियोजना मे CBA-1957 के तहत अधिग्रहित भूमि में भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति एवं शेष बचे भूमि हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का भूमि विवरणी एवं सारांश प्रस्ताव में संलग्न होना अनिवार्य है, जो नहीं है।	13. CBA-1957 के अधिग्रहित भूमि में भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति संलग्न कि जा रही है।
14. प्रस्ताव के साथ RR Plan संलग्न नहीं है।	14. R&R plan संलग्न किया जा रहा है।
15. प्रस्ताव के साथ Reclamation Plan संलग्न नहीं है।	15. Reclamation plan संलग्न किया जा रहा है।
16. प्रस्ताव में संलग्न मैजामेप पर दिखाए गये लीज क्षेत्र में भारत सरकार पुर्व में प्राप्त स्वीकृति हेतु क्षेत्र को अलग-अलग रंगों से दर्शाते हुए इण्डेक्स में दिखा कर नक्शा संलग्न नहीं है।	16. भारत सरकार द्वारा पुर्व में प्राप्त स्वीकृति हेतु क्षेत्र को अलग-अलग रंगों से दर्शाते हुए इण्डेक्स के साथ संलग्न किया जा रहा है।
17. प्रस्ताव में संलग्न भूमि विवरणी में दिखाये गये रकबा एवं नक्शा पर वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित रकबा मापी कराने का उपरांत काफी भिन्नता पाई गई है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। साथ ही कहना है कि कही भी दिक्कत आति है, तो हमारे प्रमण्डलीय अमीन से संपर्क स्थापित कर उसकी पुष्टी किया जा सकता है।	17. नक्शा पर वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित रकबा को नक्शा में सुधार कर संलग्न किया जा रहा है।
18. प्रस्ताव के साथ मदवार (Componement wise) विवरणी में Quarry, OB Dump, Conveyor Corridor, Road, Safety Zone एवं Green Zone का उल्लेख है, परन्तु इनके कार्य एवं उद्देश्य स्पष्ट नहीं किये गये है। इसे स्पष्ट करना आवश्यक है।	18. प्रस्ताव के साथ मदवार (Componement wise) विवरणी में उल्लेखित कार्य Quarry, OB Dump, Conveyor Corridor, Road, Safety Zone एवं Green Zone उद्देश्य के लिए लिया गया है।
19. मगध ओ0सी0पी0 96.72 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति प्राप्त है। उक्त अपयोजित वनभूमि का KML File एवं Geo-reference map in shape file समर्पित करना अनिवार्य है। ताकि प्रस्तावित अपयोजित होने वाले वनभूमि क्षेत्र में ओवर लेप न हो उसका मिलान किया जा सके।	19. मगध ओ0सी0पी0 96.72 हे0 वनभूमि का KML File एवं Geo-reference map in shape file समर्पित किया जा रहा है।

Thanking You


Project Officer
Magadh OCP